# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 225 RTA 2022-285 (GCMS 2022-467)

1. रामुराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट
2. गोमती पत्नी रामुराम जाति जाट
   निवासीगण बेरडो का बास,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

**अपीलाण्ट्स...**

**ब**

**ना**

**म**

1. हमीराराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट
2. चूनाराम पुत्र धनाराम जाति जाट
3. पनाराम पुत्र धनाराम जाति जाट
4. बाबुराम पुत्र धनाराम जाति जाट
5. राजुराम पुत्र धनाराम जाति जाट
6. बीरमाराम पुत्र धनाराम जाति जाट
   सभी निवासीगण बेरडो का बास
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
7. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार ओसियां
   जिला जोधपुर

**रेस्पो. ...**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां दिनांक 30 मार्च 2022 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 661/2020 अनवान हमीराराम बनाम प्रभुराम के कायममुकामान इत्यादि

------- 0 -------

**उपस्थित-**

श्री मनोहर लाल पालीवाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात

## नि र्ण य

**दिनांक : 08 सितम्बर 2023**

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 661/2020 अनवान

08.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हमीराराम बनाम प्रभुराम के कायममुकामान इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 अक्तूबर 2022 को प्रस्तुत की है तथा अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय सीयम सीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने का भी निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक हमीराराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम बेरडो का बास तहसील ओसियां स्थित स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 384/3 रकबा 5.9651 हैक्टेयर से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 384/2 एवं खसरा संख्या 384 से होते हुए नजरी नक्शें में बिन्दु ए से बी व बी से सी रास्ते का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 को स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रभुराम जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट्स के अलावा प्रभुरामजी के अन्य वारिसान को मामले में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। मौके पर मुख्य मार्ग से प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पर किया गया है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा समुचित गौर किये बिना ही अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में दो अलग-अलग भाग करते हुए मध्य में से रास्ता कायम करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्यायोचित एवं

08.8.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिसम्मतः नहीं होने से अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। जिसके अनुसरण में रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि के प्रतिकर की निर्धारित राशि भी प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा जमा करवायी जा चुकी हैं। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदुनसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध पर उपलब्ध अभिलेख का आघोपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि--

- विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार याचित रास्ता बिन्दु ए से बिन्दु बिन्दु खसरा संख्या 384 में रास्ते के कोई अलामात नहीं है तथा बिन्दु बी से बिन्दु सी खसरा संख्या 384/2 रास्ता नहीं चल रहा है, मात्र बिन्दु सी से बिन्दु डी मौके पर खसरा संख्या 384/2 में रास्ता चल रहा है जो बिन्दु डी पर प्रार्थी-रेस्पो. एक की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 384/3 को जोडता है।
- इसी मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मुख्य मार्ग से खसरा संख्या 379 व 381 की सीमाओं से होते हुए आगे प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक स्वयं की खातेदारी की अन्य भूमि खसरा संख्या 384/4 से होते हुए नजरी नक्शा के अनुसार बिन्दु एक्स से बिन्दु वाई वैकल्पिक रास्ता चालू है जिसके जरिये आगे बिन्दु सी से बिन्दु डी रास्ते से आगे प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक स्वयं

09.05.23

राजस्व अपील प्राधकारी
जोधपुर

की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 384/3 तक आवागमन हो सकता है।

- पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा बिन्दु ए से बिन्दु बी दूरी तक का रास्ता खसरा संख्या 384 में खेत के मध्य में से दिया गया है जिससे उक्त खसरा के दो भाग हो जाने से काश्त कार्य में कई व्यावहारिक कठिनाईयॉ उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः न्यायहित में रास्ता काश्तकार की खातेदारी भूमि की सीमाओं के सहारे-सहारे ही दिया जाना चाहियेस। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी एवं व्यावहारिक स्थिति तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता हैं

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 मार्च 2022 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि मौका रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु एक्स से बिन्दु वाई उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते के तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा संबंधित रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आवश्यकता अनुसार किसी भी खातेदारी भूमि के मध्य से रास्ता उपलब्ध कराये जाने की बजाय खातेदारी भूमि की सीमाओं से लगते हुए रास्ता उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर